प्रेस –विज्ञप्ति
राजस्व विभाग,उ0प्र0
लेखपाल भर्ती परीक्षा– 2015

जनपद का नाम– कुशीनगर **परीक्षा का नामः लेखपाल राजस्व**

विज्ञापन संख्या–71 /सात–भूलेख–2015 दिनांक 19 जून, 2015

आवेदन पत्र स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि– 22 जुलाई, 2015

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– 21 जुलाई 2015

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। लिखित परीक्षा दिनांक 30 अगस्त 2015 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

रिक्तियों का विवरण

कम सं0	पदनाम	दिनांक 01.07.2015 को आयु	वेतनमान	कुल रिक्त पदों की सं0	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ी जाति	पद हेतु शैक्षिक अर्हता	पद हेतु अधिमानी अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	लेखपाल	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	रू0 5200–20200 (ग्रेड पे–2000)	194	141	35	09	09	माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 की इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण	1–प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

1– लेखपाल पदों की भर्ती उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित बस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2– दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित ,उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों,उ0प्र0 समाज के विकलांगों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

3– ऑन–लाइन फार्म दिनांक 22.06.2015 से दिनांक 22.07.2015 तक जमा किये जा सकेंगे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 300/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी कुशीनगर के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

4– प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

5– परीक्षा बस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा, परीक्षा संबंधी जानकारी के सम्बन्ध में तिथि ,समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in और जिले की वेबसाइट http//kushinagar.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6– ऑन लाइन आवेदन का प्रारूप ,आफ लाइन परीक्षा संबंधी निर्देश अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य प्रासंगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण दिनांक 22.05.2015 से परिषद के वेबसाइट http://bor.up.nic.in पर और जिले की वेबसाइट http//kushinagar.nic.in पर उपलब्ध हो जायेगा।

अध्यक्ष चयन समिति/जिलाधिकारी
कुशीनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी कुशीनगर।

पत्रांक 71(S)/सात–भूलेख–2015 दिनांक 19 जून 2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, अमर उजाला तथा दैनिक जागरण जनपद कुशीनगर को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन समस्त उ0प्र0 में प्रसारित होने वाले दिनांक 20.06.2015 के संस्करण में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– सहायक जिला सूचना अधिकारी कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हिन्दुस्तान तथा दैनिक जागरण व अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 20.06.2015 के अंक में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार कुशीनगर कों इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने तहसील के सूचना पट्ट पर चस्पा कराकर प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

5– नाजिर सदर,कलेक्ट्रेट कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को कलेक्ट्रेट के सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

6– आयुक्त महोदय, गोरखपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

7– आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–4,लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/6/15

अध्यक्ष चयन समिति/जिलाधिकारी
कुशीनगर